बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न	
डॉ0 फैयाज अहमद, स0वि0स0 द्वारा चालू सत्र में दिनांक–13.12.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–पुन–4 के संबंध में। **क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–**	**श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा,** मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना
तारांकित प्रश्न	**उत्तर**
(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के विस्फी प्रखण्ड के सभी पंचायतों में लगी फसल वर्ष 2011 की विनाशकारी बाढ़ की विभीषिका में बर्बाद हो गयी थी ;·	आंशिक स्वीकारात्मक । जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक –265मु0/आ0प्र0 दि0–11.12.2013 के प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2011 में विस्फी प्रखंड में बाढ़ आई थी, जिसमें इस प्रखंड के कुल 28 ग्राम पंचायतों में से 16 ग्राम पंचायतें प्रभावित हुई थीं । जहॉ तक फसल क्षति का प्रश्न है, इस हेतु गठित जॉच दल द्वारा कुल 4986 हेक्टेयर में फसल की क्षति प्रतिवेदित किया गया था। परंतु कृषकवार लगी फसल में 50 प्रतिशत से अधिक क्षति प्रतिवेदित नहीं है।
(2) क्या यह बात सही है कि फसल क्षति का आकलन हो जाने के बावजूद अभी तक वहां के किसानों को फसल क्षति के मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है;	राज्य आपदा रिस्पौंस कोष के निर्धारित मानदर के अनुसार किन्हीं किसान को तभी कृषि इनपुट अनुदान अनुमान्य होता है, यदि उनकी फसल की क्षति 50 प्रतिशत से अधिक हो। परन्तु चूँकि कृषकवार लगी फसल में 50 प्रतिशत से अधिक फसल की क्षति प्रतिवेदित नहीं है, अतः मानदर के आलोक में फसल क्षति हेतु कृषि इनपुट अनुदान अनुमान्य नहीं है।
(3) यदि उपर्युक्त· खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वहां के किसानों को फसल क्षति का मुआवजा शीघ्र देने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक –04 / वि0स0ता0प्र0–139 / 2013 / 5538 / आ0प्र0, दिनांक – 26/12/13.

प्रतिलिपि प्रशाखा/ पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, पटना को उनके पत्रांक –2844 दि0–20.11.2013 के क्रम में 04(चार) प्रतियों में / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26/12/13

(सुनील कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

\\Pc22-pc\d\sanjay sir 2013\vidhan parisad qu as.docx 9-12-13.docx